

पत्रांक-10/राज्य स्कीम आ0-29/2024-25

/ 80 / आ0रा0,

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
लातेहार।

राँची, दिनांक-28-03-2025

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु राज्य योजना मुख्यशीर्ष-2029-भू-राजस्व, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-21-टाना भगत विकास प्राधिकार को अनुदान के अन्तर्गत "सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)" इकाई (विपत्र कोड-40S20290079621000679) के अन्तर्गत अकादमिक सत्र 2024-25 के लिए झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स इन पुलिस साईंस पाठ्यक्रम में टाना भगत के 02 (दो) नामांकित विद्यार्थियों पर होने वाले व्यय हेतु संस्थान के द्वारा अधियाचित राशि रू0 62,000/- (रूपये बासठ हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3346/रा0, दिनांक-07.10.2024, ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश संख्या-69, दिनांक-07.10.2024 से प्राप्त स्वीकृति तथा उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-573/रा0, दिनांक-20.03.2025 के आलोक में टाना भगत विकास प्राधिकार को अनुदान के अन्तर्गत "सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)" इकाई में अकादमिक सत्र 2024-25 के लिए झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स इन पुलिस साईंस पाठ्यक्रम में टाना भगत के 02 (दो) नामांकित विद्यार्थियों पर होने वाले व्यय हेतु संस्थान के द्वारा अधियाचित राशि रू0 62,000/- (रूपये बासठ हजार) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. इस राशि का ऑनलाईन आवंटन जिले के संबंधित DDO Code- LTRDAD 002 में दिया गया है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। इस संपूर्ण राशि के नियंत्री पदाधिकारी सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

4. यह आवंटन राज्य के टाना भगतों के आर्थिक स्थिति में सुधार एवं उनके सर्वांगीण विकास हेतु गठित टाना भगत विकास प्राधिकार को उपलब्ध कराने हेतु दिया जा रहा है।

कृ०पू०उ०

Signature

5. जिले के संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त राशि को जिला स्तर पर गठित जिला टाना भगत विकास प्राधिकार को उनके बैंक खाता में डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक/RTGS/Book Transfer के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।
6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 322/वि., दिनांक-28.01.2002, 1800/वि., दिनांक-15.07.2003 एवं 257/बजट, दिनांक-21.03.2024 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।
7. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी, जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
8. राशि की निकासी से संबंधित विस्तृत व्यय विवरणी, टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
9. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर शीर्षादि एवं माँग संख्या-40 के अतिरिक्त विपत्र कोड-40S20290079621000679 का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।
10. योजना व्यय का विकलन राज्य स्कीम अंतर्गत विषयांकित बजट शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपबंधित राशि से होगा।
11. राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जाएगी।
12. टाना भगत विकास प्राधिकार प्राप्त राशि का व्यय सुनिश्चित कर इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमाणित दस्तावेजों के साथ जिले के संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
13. जिले के संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, टाना भगत विकास प्राधिकार से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ससमय महालेखाकार कार्यालय एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

Shree

27/3
(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-

180/314 राँची, दिनांक- 28.03-2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड/जिला कोषागार पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Shree
27/3/XXV

सरकार के सचिव

Shree



DRAFT COPY

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Revenue, Registration and Land Reforms Department (Revenue and Land R

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

1

संचिका संख्या - 10/TSP-29/24-25

दिनांक -

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 40 20290079621000679 2029 - भू-राजस्व 00 - भू-राजस्व 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 21 - टाना भगत विकास प्राधिकार को अनुदान 00-NA 06 - अनुदान State Scheme	104718	LTRDAD002 RAMA RAVIDAS ADDITIONAL COLLECTOR 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	62,000.00 रुपये बासठ हजार
State Scheme :	GRANT-IN-AID TO THE TANA BHAGAT DEVELOPMENT AUTHORITY(1556)			
Central Scheme :	NA			

योग:

रुपये बासठ हजार

क्रमिक योग:

(CHANDRASHEKHAR)

SECRETARY

62,000.00

